कार्यालय नगर पंचायत रेवती, बलिया

पत्रांकः 172(5) /न0पं0रे0/आ0न0यो0/वर्ष 2015–16 दिनांकः 01 अगस्त 2015

अतिअल्पकालिन निविदा/कोटेशन सूचना

एतत् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रेवती, जनपद–बलिया में निम्न वर्णित कार्य को सम्पन्न कराने हेतु "आदर्श नगर योजना"/"रा0वि0आ0" अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि से प्रस्तावित कार्यो हेतु पंजीकृत/रजिस्ट्रर्ड इच्छुक ठेकेदारों से निविदा दिनांक 03–09–2015 को अपरान्ह 2.00 बजे प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बलिया के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा/कोटेशन बाक्स में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा/कोटेशन उक्त तिथि को ही अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/इनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी अधिकारी के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी निविदा/कोटेशन को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। यह निविदा/कोटेशन जिले की बेवसाइट **www.ballia.nic.in** पर उपलब्ध है।

कराये जाने वाले कार्य का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर की धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा फार्म का मूल्य	समया–वधि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत रेवती में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का कार्य।	50.00	01.00	1,500.00 +वैट	3 माह

नियम व शर्ते

1. कार्य सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारी हेतु निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय नगर पंचायत रेवती में सम्पर्क कर किया जा सकता है।
2. कराये गये कार्य का भुगतान होने के तीन वर्ष तक यदि कार्य में खराबी अथवा अन्य कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे पुनः ठेकेदार द्वारा ठीक कराना होगा। जिसका कोई भुगतान विभाग द्वारा नही किया जायेगा।
3. धरोहर की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेवती के नाम बंधक हो अथवा नगद जमा रसीद द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा/कोटेशन फार्म की बिक्री दिनांक 02–09–2015 तक नगर पंचायत रेवती कार्यालय, तहसील मुख्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय स्थित स्थानीय निकाय लिपिक के पटल से किया जायेगा।
5. निविदा/कोटेशन के साथ व्यापार कर पंजीयन एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. स्ट्रीट लाईट कम्पलीट फिटिंग सिविल कार्य के साथ और स्ट्रीट लाईट में प्रयोग होने वाले प्रकाश सामाग्री का मूल्य प्रति अदद के रूप में देना होगा।
7. स्ट्रीट लाईट में प्रयोग होने वाली एल0ई0डी0 लाईट ब्राण्डेड कम्पनी का होना चाहिए।

(कृष्ण कुमार सोनकर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया

J. Pandey
(जयश्री पाण्डेय)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रेवती
बलिया

क्रमशः......2......

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय–बलिया
3. जिलासूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्त सूचना का प्रकाशन किसी दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर प्रकाशित समाचार पत्र की अतिरिक्त एक प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु कार्यालय नगर पंचायत रेवती में भेजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक एन.आई.सी. विकास भवन, बलिया को बेवसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. कार्यालय नगर पंचायत रेवती के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(कृष्ण कुमार सोनकर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया